

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1943 का नियम 129)

आदेश-पत्रक ता० से

जिला-बोकारो केस सं० 63/2015-16

केस का प्रकार :- नामान्तरण

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित										
1	2	3										
06/05/2015	<p>श्री सुरेश कुमार नायक पिता/पति श्री हीरा लाल खान साकिन जौनियारो थाना-नावाडीह जिला-बोकारो ने निम्नांकित भूमि का दा० खा० हेतु आवेदन पत्र दिया है जो श्री वसन्त कुमार नायक ... पिता श्री हीरा लाल खान सा० जौनियारो नावाडीह जिला-बोकारो के केवाला संख्या 1964 दिनांक... 08.09.2009 ... द्वारा मो० 37,500/- रुपये में किया है।</p> <p>जमीन का विवरण :-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ग्राम</th> <th>खाता न०</th> <th>प्लॉट न०</th> <th>रकबा</th> <th>माल</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>जौनियारो</td> <td>98</td> <td>1817</td> <td>0.04 एकड़</td> <td>5 फीट</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">प्रमाण 1.00 रु/एकड़</p>	ग्राम	खाता न०	प्लॉट न०	रकबा	माल	जौनियारो	98	1817	0.04 एकड़	5 फीट	24/05/2015
ग्राम	खाता न०	प्लॉट न०	रकबा	माल								
जौनियारो	98	1817	0.04 एकड़	5 फीट								
	<p>मूल आवेदन ह० कर्म को जांच हेतु दें। उन्हें आदेश दिया जाता है कि जांच प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर अंचल निरीक्षक के माध्यम से दें। साथ ही आम इस्तेहार निर्गत कर आपत्ति-आमंत्रण करें।</p> <p>अभिलेख दिनांक 24/05/2015 को उपस्थित करें।</p>	<p>आदेश पर कार्रवाई 24/05/2015 अंचल निरीक्षक नावाडीह (बोकारो)</p> <p style="text-align: right;">मोहि</p>										
	<p style="text-align: center;">24/05/15 अंचल अधिकारी नावाडीह (बोकारो)</p>											

आदेश की क्रम
नं० और तारीख

1

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

2

आदेश पर की गई व
के बारे में रिप्लाय
तारीख सहित
3

24/05/2015

अभिलेख उपस्थापित किया गया। आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त निर्धारित तिथि तक किसी ने आपत्ति पत्र नहीं दिया है ह० कर्म/अ० नि० का जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसका अवलोकन किया तथा पाया कि वर्णित भूमि का II के पृष्ठ सं० 117 भालुम सं० II में विक्रेता के दादा पुनीत तनी नाम से रसीद निर्गत होती है। विक्रेता ने अपने हिस्से की जमीन विक्री किया है, जो क्रेता के दखल कब्जा में है। हल्का कर्मचारी / अ० नि० ने दा० खारीज स्वीकृत करने का अनुशंसा किया है।

अतः ह० कर्म/अ० नि० के जांच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित वर्णित भूमि का दाखिल खारीज क्रेता के नाम से श्री सुरेश कुमार मय्यक बनौत किया जाता है।

ग्राम	खाता न०	प्लॉट न०	रकबा	माल
-------	---------	----------	------	-----

गोनियाटा	98	1817	0.04 एकड़	5 फीस 1.00 रु
----------	----	------	-----------	------------------

तदनुसार शुद्धि पत्र निर्गत करें।

लेखापति

अंचल अधिकारी
नावाडीह

अंचल अधिकारी
नावाडीह

पुनश्च: शुद्धि पत्र हस्ताक्षर किया गया। दो प्रति हल्का कर्मचारी अनुपालत हेतु दे।

अंचल अधिकारी
नावाडीह (बोकारो)

अनुसूची-98, फारम सं०-9८४

नामान्तरण (दाखिल खारीज) के आवेदन पर तहसीलदार का जमीन की रिपोर्ट का फारम

नामान्तरण/दाखिल खारीज केस सं० 63/2015-16 सन् 20

गाँव गोनियाटी थाना नावाडीह थाना न० 7

इस्टेट का नाम आरक्षक जिला बेकरी

1. लिखें बिक्रय, दान, बटवारा या (1) 1964 द्वारा होल्डिंग का (2) अन्तरण
उत्तराधिकार । 08.9.2009

2. पूर्णतः या अंशतः बिक्री या अन्तरित क्षेत्र का रकवा । 0.04 एकड़

3. यहाँ रैयत या महाजन लिखें चुकाया गया मूल्य 37,500/- रुपये
 खरीदार का पेशा- शरी

खतियान संख्या	अभिधारी का नाम	प्लॉट सं०	रकवा	लगान और हैसियत	अभ्युक्ति
98	नामान्तरण (दाखिल खारीज) के पहले मूल होल्डिंग <u>पुनीत तेली</u> पिता - <u>कन्दन तेली</u>	<u>1817</u>	<u>6.11</u>	<u>12.87</u>	उक्त शरी माला गोनियाटी थाना न०-98 रैयती क्षेत्र की है। पंजी 11 के पंज न० 117/11 के लेंडरकारी के दादा <u>कृष्णलाल</u> के नाम से जमाबंदी दर्ज है। लेंडरकारी अपने अंश की शरी से लेंडरकारी के नाम बिक्री किचे है जिसपर लेंडरकारी शास्त्रपूर्वक दखलदार है।
M	नामान्तरण (दाखिल खारीज) के बाद मूल होल्डिंग " "	" "	<u>6.07</u>	<u>12.82</u>	उक्त शरी गोरमजलमा (बास), आग क्षेत्र, प्रहदवन्दी प्रभाग एवं कालीमा के बाहर है। लेंडरकारी लेंडरकारी दोनो C.N.T एवं के कारर है। अतः लेंडरकारी के नाम
98	नया होल्डिंग श्री सुरेश कुमार मायक पिता - श्री वीरलाल शर्मा ग्राम - गोनियाटी	<u>1817</u>	<u>0.04</u>	<u>0.05</u> 1.00 आरक्षक	दाखिल खारीज अने की स्वीकृति दी जा सकी है। <u>के</u> H No-11

तहसीलदार का हस्ताक्षर